UPSP010027762023

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, सहारनपुर।
उपस्थितः अभय कृष्ण तिवारी, एच0जे0एस0
(1) सत्र परीक्षण संख्या 375/2023,

राज्य प्रति लोकेश पुत्र प्रकाश चन्द,
निवासी ताहरपुर, थाना कोतवाली देहात,
जिला सहारनपुर।
मुकदमा अपराध संख्या 24/2018,
धारा 328, 379, 411 भारतीय दण्ड संहिता,
थाना जी0आर0पी0, जिला सहारनपुर।

UPSP010104182023

(2) सत्र परीक्षण संख्या 1685/2023,

राज्य प्रति लोकेश पुत्र प्रकाश चन्द,
निवासी ताहरपुर, थाना कोतवाली देहात,
जिला सहारनपुर।
मुकदमा अपराध संख्या 65/2018,
धारा 414 भारतीय दण्ड संहिता,
थाना जी0आर0पी0, जिला सहारनपुर।

निर्णय

1– अभियुक्त लोकेश का परीक्षण मुकदमा अपराध संख्या 24/2018, सत्र परीक्षण संख्या 375/2023, में विवेचना के पश्चात प्रेषित आरोप पत्र प्रदर्श क–10, अन्तर्गत धारा 328, 379, 411 भारतीय दण्ड संहिता एवं मुकदमा अपराध संख्या 65/2018, सत्र परीक्षण संख्या 1685/2023, में विवेचना के पश्चात प्रेषित आरोप पत्र प्रदर्श क–15, अन्तर्गत धारा 414 भारतीय दण्ड संहिता, के आरोप में किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अरूण खुराना पुत्र स्व0 कमल खुराना, निवासी आदर्श नगर (ब्रहम कुमारी मंदिर के पास) मोदी नगर (गाजियाबाद) उत्तर प्रदेश द्वारा टाईप शुदा तहरीर प्रदर्श क–1 दिनॉकित 23.01.2018 को थाना जी0आर0पी0, गाजियाबाद पर इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ''मैं दिनॉक 20.01.2018 को ट्रेन नम्बर 54471 देहली–ऋषिकेश पैसेंजर में करीब 7:45 सांय मोदी नगर से हरिद्वार जाने के लिए बैठा था तो रास्ते में सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने, जिन्हें मैं सामने आने पर पहचान सकता हूॅ, मुझे विषैला पदार्थ खिला दिया जिसके परिणाम स्वरूप मैं बेहोश हो गया और मुझे बाद में ऋषिकेश सरकारी अस्पताल में क्षण मात्र को ही होश आया तो मेरे बडे भाई तरूण खुराना, मामाजी के बेटे के कर्मचारी तोमर जी मामा सुभाष चन्द्र नजर आये और मैं पुनः बेहोश गया और फिर मुझे मोदी

नगर में अपने घर पर होश में आने पर पता चला कि जी0आर0पी0 पुलिस ने मुझे हरिद्वार के आस–पास रेलवे पटरी के पास पडे हुए बेहोशी की हालत में उठाकर ऋषिकेश सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था और मुझे तभी यह पता चला कि मुझे बेहोश करने वाले अज्ञात व्यक्ति विषैला पदार्थ खिलाकर बेहोश करके निम्न सामान चोरी करके ले गये– 1. 2nos. of dua sim mobiles (Make Gionee A1 & Gionee M3), 2- 4 nos. of sim carrying numbers 9882504601 Idea, 8894063438 Airtel, 9758644014 Vodafore, 8279971893 Jio, 3- Driving License no. NT35899/OC/GHZ, 4- ATM of UBI AC palampur 63722010002015, 5- ATM of SBI ac Alhilal cantt 32288372122, 6- ATM of HDFC AC modinagar 14601570001203 in Mummy (Smt. Kamlesh Khurana) name, 7- 1 Sony laptop & 1 Tablet, 8- Kendriya vidyalaya ID (49694), 9- 8000 in cash. अतः प्रार्थना है कि मामलें की जांच कर पुनः अज्ञात व्यक्तियों का पता लगाकर मेरा सामान वापिस दिलाया जाए और उन बदमाशो के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करे।'' जिसकी प्रतिलिपि थाना जी0आर0पी0, हरिद्वार/ऋषिकेश, उत्तराखण्ड/सहारनपुर को प्रेषित की गयी।

3– वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 अरूण खुराना पुत्र स्व0 कमल खुराना द्वारा टाईपशुदा तहरीर प्रदर्श क–1 दिनांकित 23.01.2018 के आधार पर थाना जी0आर0पी0, गाजियाबाद पर दिनॉक 23.01.2028 को ही समय 21:40 बजे मुकदमा अपराध संख्या निल0044/2018, अन्तर्गत धारा 328, 379 भारतीय दण्ड संहिता, अभियुक्त अज्ञात 1 के विरूद्ध प्रदर्श क–12 पंजीकृत किया गया, जिसकी कायमी रपट संख्या 54 दिनांकित 23.01.2018 समय 21:40 बजे पर की गयी जिसकी कार्बन प्रति प्रदर्श क–13 है। उक्त अपराध थाना जी0आर0पी0, सहारनपुर से सम्बन्धित होने के कारण थाना जी0आर0पी0 सहारनपुर पर स्थानांतरित किया गया है, जिस पर थाना जी0आर0पी0, सहारनपुर पर दिनॉक 24.01.2028 को समय 20:37 बजे मुकदमा अपराध संख्या 24/2018, अन्तर्गत धारा 328, 379 भारतीय दण्ड संहिता, अभियुक्त अज्ञात 1 के विरूद्ध पंजीकृत किया गया, जिसकी कायमी रपट संख्या 58 दिनांकित 24.01.2018 समय 20:37 बजे पर की गयी जिसकी कार्बन प्रति प्रदर्श क–13 है। तत्कालीन थानाध्यक्ष अशोक कुमार सिसौदिया द्वारा प्रकरण में विवेचना ग्रहण की गयी जिनके द्वारा नक्शा–नजरी गिरफतारी अभियुक्त प्रदर्श क–11 तैयार किया गया तथा दौरान विवेचना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त लोकेश के विरूद्व धारा 328, 379, 411 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रदर्श क–10 प्रेषित किया गया, जिस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चतुर्थ, सहारनपुर द्वारा दिनॉक 06.04.2018 को संज्ञान लिया गया। दिनांक 12.03. 2018 को समय 12.30 बजे, स्थान पी0एफ0नं0 5/6 रेलवे स्टेशन, सहारनपुर, थाना क्षेत्र जी0आर0पी0, सहारनपुर, मे पुलिस पार्टी जिसका नेतृत्व उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार कर रहे थे, द्वारा अभियुक्त लोकेश को गिरफतार किया गया तथा अभियुक्त की जामा तलाशी से उक्त अपराध से सम्बन्धित दो अदद मोबाईल, एक हैन्डी कैप कैमरा सोनी कम्पनी, चार्जर, एक स्टील थर्मस, एक चश्मे का कवर, एक बैग बरामद किया जाना दर्शित कर मौके पर प्रदर्श क–2 फर्द बरामदगी तैयार करायी गई तथा उक्त फर्द बरामदगी प्रदर्श क–2 के आधार पर अभियुक्त लोकेश कुमार के विरूद्व मुकदमा अपराध संख्या 65/2018 अन्तर्गत धारा 414 भारतीय दण्ड संहिता दिनांक 12.03.2018 को थाना जी0आर0पी0, सहारनपुर पर पंजीकृत किया गया, जिसकी कम्प्यूटरीकृत प्रति प्रदर्श क–5 है, जिसकी कायमी रपट संख्या 35 समय 14:45 दिनांकित 12.03.2018 प्रदर्श क–4 पर की गई। जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक विनोद कुमार के सुपुर्द की गयी, विवेचक विनोद कुमार द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 65/2018 अन्तर्गत धारा 414 भारतीय दण्ड संहिता, थाना जी0आर0पी0, जिला सहारनपुर में विवेचना सम्पादित कर वादी मुकदमा की

निशानदेही पर नक्शा नजरी प्रदर्श क–14 तैयार किया गया एवं दौरान विवेचना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त लोकेश के विरूद्ध धारा 414 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रदर्श क–15 विचारण हेतु प्रेषित किया गया, जिस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चतुर्थ, सहारनपुर द्वारा दिनॉक 06.04.2018 को संज्ञान लिया गया।

4– दिनांक 10.02.2023 को मुकदमा अपराध संख्या 24/2018 अन्तर्गत धारा 328, 379, 411 भारतीय दण्ड संहिता एवं दिनॉक 31.07.2023 को मुकदमा अपराध संख्या 65/2018 अन्तर्गत धारा 414 भारतीय दण्ड संहिता से सम्बन्धित प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, सहारनपुर द्वारा सत्र न्यायालय को उपार्पित किये गये, जो क्रमशः सत्र परीक्षण संख्या 375/2023 एवं सत्र परीक्षण संख्या 1685/2023 पर क्रमांकित किये गये। विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 375/2023 में अभियुक्त लोकेश के विरूद्ध दिनॉक 09.03.2023 को धारा 328, 379, 411 भारतीय दण्ड संहिता एवं सत्र परीक्षण संख्या 1685/2023 में अभियुक्त लोकेश के विरूद्ध दिनॉक 19.08.2023 को धारा 414 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग किया। सत्र परीक्षण संख्या 375/2023 एवं 1685/2023 वस्तुतः एक ही घटनाक्रम से व्युत्पन्न व सम्बद्ध होने के कारण संयुक्त विचारण के उद्देश्य से समेकित किया गया तथा सत्र परीक्षण संख्या 375/2023 सरकार बनाम लोकेश आदि लिडिंग पत्रावली के रूप में चलाया गया।

5– अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में बतौर प्रलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित प्रपत्रों को प्रस्तुत/साबित किया गयाः–

क0सं0	**अभियोजन प्रपत्र**	**प्रदर्श**	**साबित करने वाले साक्षी का नाम**
1	तहरीर	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1 अरूण खुराना
2	फर्द बरामदगी दिनॉकित 12.03.2018	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–2 उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार
3	गिरफतारी प्रपत्र कागज संख्या 14ख/1	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0–2 उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार
4	फोटो प्रति नकल रपट संख्या 35, समय 14:45, दिनॉकित 12.03.2028	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0–3 कांस्टेबल कुलदीप तोमर
5	कम्प्यूटरीकृत चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या–65/2018	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0–3 कांस्टेबल कुलदीप तोमर
6	पुलिस सूचना प्रपत्र	प्रदर्श क–6	पी0डब्लू0–5 देव सिंह असवाल, फारमेसिस्ट अधिकारी
7	फोटो प्रति इंजरी रिपोर्ट अरूण कुमार	प्रदर्श क–7	पी0डब्लू0–5 देव सिंह असवाल, फारमेसिस्ट अधिकारी
8	फोटो प्रति बी0एच0टी0 अरूण कुमार	प्रदर्श क–8	पी0डब्लू0–5 देव सिंह असवाल, फारमेसिस्ट अधिकारी
9	फोटो जीवन हॉस्पिटल एवं स्टोन सेन्टर मोदी नगर का आकस्मिक रजिस्टर	प्रदर्श क–9	पी0डब्लू0–6 राजीव गहलौत रिकार्ड कलर्क
10	आरोप पत्र संख्या मु.अ.सं. 24/2018	प्रदर्श क–10	पी0डब्लू0–7 अशोक कुमार सिसोदिया क्षेत्राधिकारी, नकुड सहारनपुर

11	नक्शा–नजरी कागज संख्या 5/1 मुकदमा अपराध संख्या–24/2018	प्रदर्श क–11	पी0डब्लू0–7 अशोक कुमार सिसोदिया क्षेत्राधिकारी, नकुड सहारनपुर
12	कम्प्यूटरीकृत चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या–निल0044/2018	प्रदर्श क–12	केवल प्रमाणिकता स्वीकार
13	कार्बन प्रति कायमी रपट संख्या 54 दिनांकित 23.01.2018 समय 21:40	प्रदर्श क–13	केवल प्रमाणिकता स्वीकार
14	नक्शा–नजरी मुकदमा अपराध संख्या 65/18 धारा 414 भा0दं0सं0	प्रदर्श क–14	केवल प्रमाणिकता स्वीकार
15	आरोप पत्र संख्या मु.अ.सं. 65/2018	प्रदर्श क–15	केवल प्रमाणिकता स्वीकार

6– अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत/साबित किया गया:–

क0सं0	**अभियोजन प्रपत्र**	**प्रदर्श**	**साबित करने वाले साक्षी का नाम**
1	पुलिन्दा कवर मुकदमा अपराध संख्या 24/2018	वस्तु प्रदर्श–1	पी0डब्लू0–2 उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार
2	मोबाईल आई.एम.ई.आई. नम्बर 863854032259927	वस्तु प्रदर्श–2	पी0डब्लू0–2 उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार
3	पुलिन्दा कवर मुकदमा अपराध संख्या 65/2018	वस्तु प्रदर्श–3	पी0डब्लू0–2 उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार
4	मोबाईल	वस्तु प्रदर्श–4	पी0डब्लू0–2 उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार
5	पुलिन्दा कवर मोबाईल सैमसंग	वस्तु प्रदर्श–5	पी0डब्लू0–2 उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार
6	मोबाईल	वस्तु प्रदर्श–6	पी0डब्लू0–2 उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार
7	बैग जिस पर सफेद चिट लगी है, मुकदमा अपराध संख्या 65/2018	वस्तु प्रदर्श–7	पी0डब्लू0–2 उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार
8	चश्मा कवर	वस्तु प्रदर्श–8	पी0डब्लू0–2 उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार
9	केतली	वस्तु प्रदर्श–9	पी0डब्लू0–2 उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार
10	डिब्बा	वस्तु प्रदर्श–10	पी0डब्लू0–2 उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार
11	चार्जर	वस्तु प्रदर्श–11	पी0डब्लू0–2 उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार
12	केबिल	वस्तु प्रदर्श–12	पी0डब्लू0–2 उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार

7– अभियोजन की ओर से आरोप सिद्ध करने के उद्देश्य से मौखिक साक्ष्य के अन्तर्गत निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया:–

क0सं0	साक्षी संख्या व नाम	साक्षी का प्रकार
1	पी0डब्लू0–1 अरूण खुराना	वादी मुकदमा
2	पी0डब्लू0–2 उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार	फर्द बरामदगी दिनॉकित 12.03.2018 साक्षी
3	पी0डब्लू0–3 कांस्टेबल कुलदीप तोमर	मुकदमा अपराध संख्या–65/2018, चिक व जी0डी0 साक्षी
4	पी0डब्लू0–4 उपनिरीक्षक सतेन्द्र कुमार	औचारिक साक्षी
5	पी0डब्लू0–5 देव सिंह असवाल, फारमेसिस्ट अधिकारी	चिकित्सक साक्षी
6	पी0डब्लू0–6 राजीव गहलौत रिकार्ड कलर्क	रिकार्ड कलर्क साक्षी
7	पी0डब्लू0–7 अशोक कुमार सिसोदिया क्षेत्राधिकारी, नकुड सहारनपुर	विवेचक साक्षी

8– अभियोजन साक्षी वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 अरूण खुराना द्वारा अपने सशपथ बयान में कथन किया गया है कि ''दिनांक 20.01.2018 मैं दिल्ली ऋषिकेश पैसेंजर ट्रेन से हरिद्वार जाने के लिए मोदीनगर स्टेशन से शाम 7:45 बजे सवार हुआ था। इस गाड़ी का नम्बर 54471 था। मेरे पास वाली सीट पर यात्रा कर रहे थे जिनसे मेरी बातचीत होने लगी थी। सहारनपुर स्टेशन से पहले टपरी रेलवे स्टेशन पर मैं गाड़ी रुकने पर गाड़ी से उतरा था तो पास बैठे मेरे सहयात्री ने मुझे चाय देने के लिए कहा, मैंने उसे चाय लाकर दी और मेरे ट्रेन पर बैठने पर उसने मुझे भी चाय के साथ खाने के लिए कुछ दिया था जिसे खाने के बाद मुझे बेहोशी छा गई और जब मुझे होश आया तो मुझे ऋषिकेश उत्तराखंड के सरकारी अस्पताल में अपने आप को पाया। वहां पर तरुण खुराना बड़ा भाई तथा मेरे मामा जी के बेटे का कर्मचारी तथा भाई सुभाष चंद्र दिखाई दिए और मैं उसके बाद फिर बेहोश हो गया था। बाद में मुझे दोबारा होश आने पर अपने घर पर होश आया। मुझे अपने घर मोदीनगर होश आया था और मुझे जीआरपी पुलिस द्वारा हरिद्वार के आसपास रेलवे की पटरी के पास में बेहोशी की हालत में ऋषिकेश भर्ती कराया गया था। यह बात मुझे अपने घर वालों से मालूम हुई, मुझे बेहोशी का पदार्थ खिलाने वाला व्यक्ति मेरा निम्नलिखित सामान चोरी कर ले गया था। मेरे चोरी किए सामान में दो मोबाइल फोन जिनमें एक जियोनी ए1 तथा जियोनी एम3 था। इन दोनों मोबाइल में दो मोबाइल सिम थे। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस तथा मेरे तीन ए.टी.एम. एक यूनियन बैंक आफ इंडिया, एक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, एक एचडीएफसी बैंक के थे जिनमें एचडीएफसी वाला एटीएम मेरी मम्मी के नाम था। एक सोनी कंपनी का लैपटॉप व एच.पी. का टैबलेट था और केंद्रीय विद्यालय की आईडी तथा आठ हजार रूपये नकद थे जिन्हें मुझे नशा देने वाले व्यक्ति ने चोरी कर लिया था। दिनांक 23.01.2018 को मैंने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना गाजियाबाद जीआरपी को दी थी। पत्रावली पर कागज संख्या 4क/3 व 4क/4 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही टाइपशुदा तहरीर है जो मैंने थाना जी0आर0पी0 गाजियाबाद में दी थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिनकी मैं शनाख्त करता हूं जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया है। विवेचक द्वारा मेरा बयान लिया गया था।''

अभियुक्त की ओर से की गयी जिरह में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि ''दिनॉक 20.01.2018 को मैं हरिद्वार जाने के लिए ऋषिकेश पैसेंजर ट्रेन मे मोदी नगर से बैठा था। मुझे जिन लोगों ने चाय के साथ नशीला पदार्थ खाने की वस्तु मे दिया वो भी मोदी नगर से इसी ट्रेन मे थे।ये लोग मेरे पास ही बैठे थे। मेरे साथ ही पूरे रास्ते बातचीत करते रहे। इसी कारण मेरी जान पहचान बन गई। यदि वह मेरे सामने आये तो मै पहचान सकता हूँ। गवाह ने हाजिर अदालत मुलजिम लोकेश को देखकर कहा कि यह वो मुलजिम नहीं है जो मेरे आस पास बैठा था। यह वो व्यक्ति नहीं है जिसने मुझे नशीला पदाथ खिलाकर मेरे साथ घटना कारित की थी। इस घटना के सम्बन्ध में मैंने जी0आर0पी0 गाजियाबाद में रिपोर्ट लिखाई थी। इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मेरा बयान नहीं लिया था। गवाह को उसका बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता पढकर सुनाया गया जिसे सुनकर गवाह ने कहा कि मैने ऐसा कोई बयान पुलिस को नहीं दिया था। पुलिस ने कैसे लिख लिया है मै इसकी वजह नहीं बता सकता। मेरा लूटा हुआ सामान नहीं मिला है। पुलिस ने कभी मुझसे किसी व्यक्ति की शनाख्त इस मुकदमे से सम्बन्धित नहीं कराई, न ही पुलिस ने मुझे इस बाबत कोई सूचना नही दी कि तुम्हारा कोई चोरी का सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने मेरा चोरी हुआ कोई सामान बरामद नहीं किया है। यह कहना गलत है कि मेरा कोई सामान चोरी ना हुआ हो और मैने कोई रिपोर्ट ना लिखाई हो। 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के विरूद्ध साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक को जिरह का अवसर प्रदान किया गया, जिसमे इस साक्षी ने कथन किया है कि मुझे इस बात की जानकारी है कि न्यायालय में गलत बयान देना कानूनी अपराध है। मैने मुख्य परीक्षा में पुलिस को बयान देने वाली बात बताई वह गलत है। यह कहना गलत है कि मैं मुलजिम को जानबूझकर पहचानने से इन्कार कर रहा हूँ। यह भी कहना गलत है कि यही वह अभियुक्त है जिसके द्वारा घटना कारित की गई थी।''

9– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–2 उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार द्वारा अपने सशपथ बयान में कथन किया गया है कि ''दिनांक 12.03.2018 को मैं थाना जी.आर.पी पर बतौर एस.आई. नियुक्त था, उस दिन मैं थाना हाजा से रवाना होकर प्लेटफार्म नंबर 6 पर लकड़ी के पुल के नीचे ड्यूटी करता हुआ आया। वहां से पूर्व से ड्यूटी पर कांस्टेबल सावंत व दिनेश कुमार थाना जीआरपी सहारनपुर व हेड कांस्टेबल सतेन्द्र व कांस्टेबल हेमंत थाना आरपीएफ मौजूद मिले जिनको साथ लेकर ड्यूटी करता हुआ पी.एफ. नंबर 5/6 के पश्चिम दिशा में बने सरकारी शौचालय के पास आया तो जरिये मुखबिर सूचना मिली कि इसी प्लेटफार्म के पश्चिम दिशा में बनी आखिरी यात्री शेड पर एक चोर, जहरखुरान बैठा है जिसके पास चोरी के मोबाइल व अन्य सामान भी हैं, जल्दी की जाए तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर ने दूर से इशारा कर दिखाया, बताया और चला गया। इस सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वालों ने आने–जाने वाले यात्रियों से मकसद बात कर गवाही के लिए कहा और कोई भी तैयार नहीं हुआ। गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ और वापस चले गए, तब हम पुलिस वालों ने आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लेते हुए विश्वास किया कि किसी के पास जुर्म संबंधित कोई वस्तु तो नहीं है, तब हम पुलिस वाले मुखबिर द्वारा बताए हुए स्थान की तरफ चल दिए। जब हम पुलिस वाले आखिरी यात्री सीट के पास पहुंचे तो उस पर बैठा व्यक्ति हम पुलिस वालों को देखकर सकपकाया और उठकर पश्चिम दिशा की तरफ चल दिया तो हम पुलिस वालों ने दबिश देकर घेर–घोटकर इस व्यक्ति को जंक्शन बोर्ड के पास समय 12:30 बजे पकड़ लिया। पकड़े व्यक्ति के हाथ में एक थैला भी था। नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो इसने अपना नाम लोकेश पुत्र प्रकाश

निवासी ताहरपुर बताया, जिसके बैग को खोलकर चेक किया तो इसके अंदर दो मोबाइल एक कार्बन, दूसरा मोबाइल सैमसंग रंग काला बिना सिम तथा बैग के अंदर एक कैमरा व चार्जर, स्टील पानी की बोतल, चश्मे का कवर एवं डेढ़ सौ रुपए नकद बरामद हुए तथा एक अंगूठी पीली धातु की बरामद हुई तथा पहनी पैंट की दाहिनी जेब से दो मोबाइल एक जिओनी रंग काला व दूसरा वीवो रंग सफेद बरामद हुए। पकड़े व्यक्ति से इसके संबंध में पूछताछ की गई तो बताया कि 20 जनवरी सन 2018 को मैंने पैसेंजर ट्रेन से एक व्यक्ति को नशीला पदार्थ देकर उसका सामान चोरी किया था जिसमें दो मोबाइल, एक लैपटॉप तथा आठ हजार रूपये नगद व आईडी व अन्य सामान था। लैपटॉप व एक मोबाइल मैं सहारनपुर घंटाघर पर अनजान व्यक्ति को दस हजार रूपये में बेच दिए हैं, रुपए खर्च हो गए हैं तथा अन्य सामान मैंने चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। यह जिओनी मोबाइल उसी घटना का है तथा फरवरी माह के लास्ट में ऋषिकेश पैसेंजर ट्रेन में एक यात्री का सामान चोरी किया था जिसमें 200 रूपये, मोबाइल अंगूठी बरामद हुई थी व अन्य आईडी व सामान चोरी किया था। अन्य सामान मैंने चलती ट्रेन से फेंक दिया था, यह अंगूठी बरामद अंगूठी एवं वीवो मोबाइल उसी घटना का है एवं बरामदा दो मोबाइल सैमसंग व कार्बन, कैमरा व चार्जर, पानी की स्टील की बोतल व चश्मे का कवर भी मैंने चलती ट्रेन में चोरी किया है। बरामदा माल के संबंध में थाने से पूछताछ की गई, थाने से जानकारी मिली कि बरामद जिओनी के संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 24/2018 धारा 328, 379 आईपीसी पंजीकृत है एवं बरामदा मोबाइल वीवो रंग सफेद व अंगूठी पीली धातु के संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 63/18 पंजी कृत है, धारा 379 आईपीसी का दर्ज है। अभियुक्त को इसके जुर्म से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। सभी बरामदा माल को सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। दौरान गिरफ्तारी मानवाधिकार आयोग व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों व निर्देशों का पालन किया गया। फर्द बरामदगी मेरे द्वारा मौके पर तैयार की गई थी जिस पर मेरे वह हमराहियान के हस्ताक्षर कराए गए थे जिसकी एक प्रति मुल्जिम लोकेश को देकर उसके हस्ताक्षर कराए गए थे। मौके पर ही अभियुक्त लोकेश का फोटो मोबाइल से खींचकर एस.एच.ओ. को व्हाट्सएप से भेज कर वादी से अभियुक्त की पहचान कराई गई थी। पत्रावली पर कागज संख्या 12/ख1 व 12ख/2 दो मेरे द्वारा तैयार की गई फर्द बरामदगी की छायाप्रति है जो असल के मुताबिक है जिसे मैं अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता हूं, जिसकी मूल फर्द बरामदगी से संबंधित फर्द बरामदगी हमारे मुकदमे में संलग्न है। एस.टी. नं0 1685/2023 धारा 414 भा0दं0सं0 बनाम लोकेश में संलग्न कागज संख्या 4क/3 ता 4क/4 मूल फर्द बरामदगी एक अदद मोबाईल रंग काला सम्बन्धित मु0अ0सं0 24/18 धारा 328, 379 भा0दं0सं0 व एक अदद मोबाईल वीवो रंग सफेद व एक अंगूठी पीली धातु सम्बन्धित मु0अ0सं0 63/18 धारा 379 भा0दं0सं0 व दो अदद मोबाईल व एक हैन्डीकैप कैमरा सोनी कम्पनी व एक चार्जर, एक स्टील थरमस, एक चश्में का कवर, एक बैग सम्बन्धित धारा 414 भा0दं0सं0 है, जो मेरे हस्तलेख में है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, शनाख्त करता हूं। इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया है। एस0टी0 नं0 375/23 में संलग्न कागज संख्या 14ख/1 अभियुक्त लोकेश कुमार का गिरफ्तारी प्रपत्र है जो मेरे हस्तलेख में है, गिरफ्तारी के समय मेरे द्वारा तैयार किया गया था जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। इस पर प्रदर्श क–3 डाला गया है। इस पर मुलजिम व गवाहान के हस्ताक्षर हैं, न्यायालय में आज एक सील बन्द माल पुलिन्दा पेश किया गया जो न्यायालय की अनुमति से खोला गया, कपड़ा माल पुलिन्दा (मोबाईल कवर कपड़ा व प्लास्टिक) जिस पर

मु0अ0सं0 24/2018 धारा 328, 379 भा0दं0सं0 बनाम लोकेश थाना जी0आर0पी0 सहारनपुर अंकित है, लिखा है। इस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है, मेरे हस्ताक्षर है तथा न्यायालय की मोहर व हस्ताक्षर है। इस पुलिन्दा पर कवर पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया है। सील पुलिन्दा के अन्दर से एक मोबाईल काले रंग का जिस पर जियोनी लिखा है। आई.एम.ई.आई. नं0 863854032259927 लिखा है। यह वही मोबाईल है जो अभियुक्त के कब्जे से मेरे द्वारा बरामद किया गया था वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया है। एक अन्य माल पुलिन्दा सील बन्द न्यायालय की अनुमति से खोला गया, माल पुलिन्दा का कवर ऊपर का जिस पर मु0अ0सं0 65/2018 धारा 414 बनाम लोकेश थाना जी0आर0पी0 सहारनपुर लिखा है, मेरे व अभियुक्त के व न्यायालय के हस्ताक्षर हैं, न्यायालय की मोहर लगी है, गवाहान के हस्ताक्षर हैं। इस कवर के अन्दर से एक मोबाईल निकला है जिसका रंग काला है, जिस पर एक बैटरी चिपकी है जिस पर कार्बन इंगलिश में लिखा है, पुलिन्दा कवर पर वस्तु प्रदर्श–3 व मोबाईल पर वस्तु प्रदर्श–4 डाला गया है। एक अन्य माल पुलिन्दा न्यायालय की अनुमति से खोला गया माल पुलिन्दा कवर पर मु0अ0सं0 65/18 धारा 414 भा0दं0सं0 बनाम लोकेश थाना जी0आर0पी0 लिखा है, मेरे व गवाहान के व अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं, न्यायालय की मोहर व हस्ताक्षर है मेरे भी हस्ताक्षर है। इस कवर पुलिन्दा के अन्दर से एक काले रंग का सैमसंग कम्पनी का मोबाईल निकला है। माल पुलिन्दा कवर पर वस्तु प्रदर्श 5 तथा मोबाईल पर वस्तु प्रदर्श 6 डाला गया है। एक बैग माल पुलिन्दा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, इस काले रंग के बैग पर कपड़े की एक सफेद चिट लगी है। उक्त सफेद चिट पर मु0अ0सं0 65/2018 धारा 414 भा0दं0सं0 बनाम लोकेश कुमार थाना जी0आर0पी0 लिखा है, जिस पर लोकेश कुमार व अन्य गवाहान के व मेरे हस्ताक्षर है, माननीय न्यायालय की मोहर व हस्ताक्षर है जिस पर वस्तु प्रदर्श 7 डाला गया है। बैग की चेन पर सील है जिसे खोला गया, खोलने पर उसके अन्दर से एक चश्मे का कवर व एक मिल्टन कम्पनी की स्टील के तली निकली है, चशमे के कवर पर अंग्रेजी में ए.बी. सी. लिखा है व मिल्टन कम्पनी की केतली (बोतल) पर अंग्रेजी में मिल्टन, थर्मो स्टील लिखा है। इस केतली पर वस्तु प्रदर्श–9 व चशमा कवर पर वस्तु प्रदर्श 8 डाला गया है। एक अन्य सील बन्द प्लास्टिक का डिब्बा खोला गया, डब्बे पर सफेद कपड़े की चिट चिपकी है। इस सफेद कपड़े की चिट पर मु0अ0सं0 65/2018 धारा 414 भा0दं0सं0 चालानी थाना जी0आर0पी0 लिखा है, इस डिब्बे में एक कैमरा हैन्डीकैम सोनी व चार्जर है, लिखा है। इस डिब्बे पर वस्तु प्रदर्श 10 डाला गया है तथा इस माल पुलिन्दा डब्बे के अन्दर से एक हैन्डीकैम कैमरा व चार्जर निकला है, एक केबिल निकला है। कैमरे पर अंग्रेजी में सोनी व 254099 लिखा है व चार्जर पर सोनी नं0 38522552 अंकित है। कैमरे पर वस्तु प्रदर्श 11, चार्जर पर वस्तु प्रदर्श 12 व केबिल पर वस्तु प्रदर्श 13 डाला गया है। उपरोक्त सभी सामान वही है जो मेरे द्वारा हाजिर अदालत अभियुक्त लोकेश कुमार से बरामद किया गया था, बरामद हुआ था।''

अभियुक्त की ओर से की गयी जिरह में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि ''घटना दिनॉक 12.03.2018 की है। मेरी डयूटी पूरे स्टेशन पर ही थी। मैं सुबह 8:50 पर चला था। थाने से रवानगी कर के 8:50 पर चला था। थाने से मैं अकेला ही चला था। सबसे पहले मैं प्लेट फार्म नम्बर चार पर पहॅुचा था। ये बात सही है कि थाना जी0आर0पी0 प्लेट फार्म नम्बर चार ही है। प्लेट फार्म नम्बर चार पर ही स्टेशन आफिस है। आफिस के अन्दर चौबिस घन्टे तक कोई नही रहता है। प्लेट फार्म नम्बर चार पर स्टेशन मास्टर का आफिस है। कोई ना कोई स्टेशन मास्टर 24 घन्टे रहता है। प्लेट फार्म नम्बर चार पर गार्ड का आफिस है, उस पर

भी कोई ना कोई चौबिस घन्टे रहता है। पार्सल आफिस भी चार नम्बर प्लेट फार्म पर है, वहां भी 24 घन्टे कोई ना कोई रहता है। एक लाईन पार करके प्लेट फार्म नम्बर चार है। प्लेट फार्म नम्बर 5 व 6 मिले हुये है। मुखबिर ने मुझे प्लेट फार्म नम्बर 5–6 के पास शौचायल बने है वही पर सूचना दी थी। शौचालय पश्चिम की ओर है। यह बात सही है कि प्लेट फार्म नम्बर 5–6 पर भी कई दुकाने है। जो 24 घन्टे खुली रहती है जो घटना के समय भी खुली थी वहॉ पर कोई ना कोई रहता है। जब मुझे सूचना मिली मैंने गवाह लेने का प्रयास किया था पर कोई गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ था। मैंने उन व्यक्तियों के नाम पते समय अभाव के कारण नोट नहीं किये थे। समय अभाव वाली बात मैने फर्द में नही लिखी थी ना मैने बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता मे बतायी थी। यह बात मैं आज पहली बार अदालत में कह रहा हूँ। यह कहना गलत है कि हमने उस स्थान जहॉ से मुखबिर ने मुलजिम होने की सूचना दी थी, वहॉ से जानबूझकर कोई पब्लिक के गवाह ना लिये हो। यह कहना गलत है कि हमने इसलिए गवाह ना लिए हो कि ऐसी कोई घ टना ना हुई हो। वहॉ से हम फिर पश्चिम दिशा में गये थे। मुखबिर हमारे साथ नही गया था, वही से मुलजिम को दिखा दिया था। उसके बाद मैं मुखबिर के बताये स्थान की तरफ मय हमराही चल दिया। जहां मुखबिर ने मुझे सूचना दी थी वही पर मुझे मेरे हमराहीयान मिले थे। अज खुद कहा कि हेड कांस्टेबल सावन, दिनेश, आ0पी0एफ0 के हेड कांस्टेबल महेन्द्र व हेमन्त लकडी के पुल के नीचे मिले थे। वहां से चलकर जब हम लोग पी0एफ0 पर बने शौचालय के पास आये तब मुखबिर ने सूचना दी थी। यह सही है स्टेशन पर बने किसी भी सरकारी दफ्तर मे मौजूद कर्मचारीगण को गवाही के लिए नही कहा। गवाह ने कहा हमने गवाही के लिए कहा था हमने यात्रियो व सरकारी कर्मचारियो को गवाही के लिए कहा था कोई तैयार नही हुआ था। यह बात कि यात्रियो व कर्मचारियो को गवाही के लिए कहा था हमने यह बात फर्द में नही लिखी, ना बयान 161 दण्ड प्रक्रिया मे लिखाया है। वैन्डर्स को गवाही के लिए हमने नही कहा ना ही फर्द मे लिखाया, ना ही बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में विवेचक को बताया। मुखबिर की सूचना मिलने के बाद हम मुखबिर के बताये स्थान पर गये। हमने मुलजिम को लगभग एक सौ मीटर की दूरी से देखा था। मुलजिम ने हमे वही से देखा था या नही मैं नहीं बता सकता, मुलजिम ने हमे आठ दस मीटर से देख लिया था। मुलजिम फिर पश्चिम दिशा की ओर पैदल–पैदल चलने लगा फिर हमने रूकने के लिए कहा, वह नही रूका, फिर हमने उसे भाग कर पकड लिया। थाने से रवानगी हमने 8:50 पर की थी। मुखबिर हमे सवा बारह बजे मिला था। हमने मुलजिम को 12:30 पर गिरफतार किया था। गिरफतार करने के बाद मैने अभियुक्त की तलाशी नही ली थी। यह बात सही है कि जब हमने मुलजिम को गिरफतार किया था तब भी हमने पब्लिक का गवाह नही लिया था। जब हम गिरफतारी करके मौके से थाने लाये थे इस दौरान हमने गवाह लेने की कोशिश की थी पुनः पब्लिक का गवाह लेने की बाबत हमने फर्द मे नही लिखा ना ही मेरे बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता मे यह बात लिखी है। यह बात मैने पहली बार अदालत मे लिखवाई है। मुलजिम को गिरफतार करने के बाद हम थाने ले आये थे। मुलजिम को थाने पर पौने तीन बजे दिन के लाये थे। थाने पर जी0डी0 पर मुकदमा कायम हुआ था। मुकदमा पहले से ही पंजीकृत था जिससे सम्बन्धित माल मय फर्द के थाने पर दाखिल किया था। मुझे घटना स्थल से ही कुछ माल का पता चल गया था जिसकी जानकारी मैने थाने से जरिये मोबाईल से प्राप्त की थी। मुझे यह जानकारी कि यह माल अरूण खुराना का है यह बात मौके पर मिल गई थी जिसकी बाबत थाने पर मुकदमा पंजीकृत है लेकिन कुछ सामान अन्य मुकदमे से सम्बन्धित था कुछ ऐसा भी था जिसके सम्बन्ध मे थाने पर मुकदमा

पंजीकृत नही था। अरूण खुराना ने जो तहरीर थाने पर दी थी वह तहरीर मैने नही पढी थी। मैने अरूण खुराना को नही बताया था कि आपका माल बरामद हो गया है आप इस माल को ले ले और पहचान ले। इस मुकदमे के विवेचक एस0एच0ओ0 सी0आर0पी0 अशोक सिसौदिया थे। मेरा इन्होने बयान 161 दण्ड प्रक्रिया लिया था, मेरा बयान थाने पर लिया था। नक्शा नजरी थाने पर नही बनवाया था। मुखबिर मिलने के स्थान व अभियुक्त बैठने की दूरी विवेचक को नही बताई थी। जहॉ अभियुक्त बैठा था जहॉ से हमने अभियुक्त को गिरफतार किया उस स्थान की दूरी दस पन्द्रह मीटर हो गयी। यह मेरी जानकारी मे नही है कि विवेचक द्वारा अभियुक्त की ओर बरामदा सामान की शनाख्त कराई थी या नही। यह सही है कि बरामदगी का सामान आज मेरे सामने नही है। वस्तु प्रदर्श–1 अभियुक्त लोकेश से बरामद हुआ था। यह मुकदमा अपराध संख्या 24/18 से सम्बन्धित है। इस मुकदमे के वादी अरूण खुराना पुत्र कमल खुराना है जो कि गाजियाबाद के रहने वाले है। यह बात सही है कि यह मोबाईल चालू हालत मे नही है, नमूना मोहर हमने बरामद के समय बनाया था। यह सही है कि इस समय मेरे सामने नही है, ना ही पत्रावली पर है। ये कहना गलत है कि मैने बरामदगी के समय कोई नमूना मोहर ना बनाया हो। यह सही है कि मोबाईल जो कि जियोनी कम्पनी का है प्लस वन है इसके अलावा कोई अन्य माल मुकदमा मेरे सामने नही है। यह सही है इस मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त लोकेश से मात्र प्रदर्श–1 ही बरामद हुआ था। यह बात सही है कि वस्तु प्रदर्श–1 को मैने ही साबित किया है, वस्तु प्रदर्श–1 माल पुलिन्दा कपडा है। एक साईड मे इसके प्लास्टिक की पन्नी है। यह कहना गलत है कि अभियुक्त लोकेश को इस मुकदमे मे झूठा व गलत अभियुक्त बनाया गया हो। यह कहना भी गलत है कि अभियुक्त लोकेश को तथाकथित दिनांक व समय पर जो हम बताते है उस पर गिरफतार ना किया गया हो। यह कहना भी गलत है कि अभियुक्त लोकेश से कोई बरामदगी किसी प्रकार की ना हुई हो। यह कहना भी गलत है कि लोकेश को घर से उठाकर झूठा फंसाया गया हो।''

10– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–3 कांस्टेबल कुलदीप तोमर सहारनपुर द्वारा अपने सशपथ बयान में कथन किया गया है कि ''दिनांक 12.03.18 को मैं थाना जी0आर0पी0 सहारनपुर पर बतौर कार्य लेख तैनात था। उस दिन मैने एस.आई. अरविन्द कुमार की फर्द बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 65/2018 अन्तर्गत धारा 414 भा0दं0सं0 बनाम लोकेश कुमार पंजीकृत किया था। तहरीर की नकल मेरे द्वारा कांस्टेबल अजय कुमार को कम्पयूटर पर शब्द ब शब्द बोल–बोल कर टाईप करायी थी। उक्त मुकदमें का खुलासा मेरे द्वारा जी.डी. नम्बर 35 समय 14:45 बजे दिनांक 12.03.2018 पर किया था। पत्रावली पर कागज संख्या 11ख/6 जी.डी. नम्बर 35 की छायाप्रति है, जो मेरे द्वारा जी.डी. कायमी लिखी गयी है जिसे मै अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया है तथा कागज संख्या 4क/1 व 4क/2 मु0अ0सं0 65/2018 की चिक एफ.आई.आर. है जो मेरे द्वारा पंजीकृत की गयी है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया है। नकल चिक कम्पयूटर कापी व नकल जी.डी. कायमी/नकल रपट वास्ते विवेचना विवेचक को दी गयी।''

अभियुक्त की ओर से की गयी जिरह में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि ''यह बात सही है कि माल जी0डी0 आज मेरे सामने नही है, ना ही पत्रावली पर है। यह बात भी सही है कि मूल जी0डी0 मैं साथ लेकर नहीं आया हूॅ। यह बात सही है कि पत्रावली पर पेपर संख्या 11ख/6 जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया है जिसे मैंने प्रमाणित किया है उस दस्तावेज को मैने बिना मूल दस्तावेज देखे

प्रमाणित किया है, प्रदर्श क–4 फोटो कापी है। यह भी सही है कि उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या 65/18 मैने एस0ओ0 जी0आर0पी0 के कहने पर ही अभियुक्त लोकेश के विरूद्ध पंजीकृत किया है। गवाह ने स्वयं कहा मैने फर्द बरामदगी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया था। जो पुलिन्दे पुलिस पार्टी द्वारा सील किये गये थे वह मैने खोल कर नही देखे थे, ना ही मुझे यह पता था यह क्या है इसके अन्दर क्या है। गवाह ने कहा कि पुलिन्दो पर मुकदमे से सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या व मुकदमे से सम्बन्धित विवरण लिखा है। पुलिन्दो पर मुकदमा अपराध संख्या मैने नही लिखा था। यह बात सही है पुलिन्दो पर मुकदमा अपराध संख्या एस0आई0 अरविन्द कुमार द्वारा लिखा था। पुलिन्दो पर इबारत मेरे सामने नही लिखी गई थी। मुझे यह जानकारी नही है कि फर्द पुलिन्दे पर मुकदमा अपराध संख्या कब लिखा था। यह कहना गलत है कि जी0डी0 नम्बर 35 एन्टी डेट, एन्टी टाईम दर्ज की गई हो। यह कहना भी गलत है कि लोकेश से कोई बरामदगी किसी प्रकार की ना हुई हो। यह कहना भी गलत है कि मैने अपने सिनियर अधिकारियो के कहने से लोकेश के विरूद्ध झूठे मुकदमे का खुलासा जी0डी0 मे किया हो।''

11– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–4 उपनिरीक्षक सतेन्द्र कुमार द्वारा अपने सशपथ बयान में कथन किया गया है कि ''दिनांक 12.03.2018 मैं रेलवे सुरक्षा बल थाना सहारनपुर में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उस दिन मैं व मेरे साथ हेमन्त कानितकर रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे थे तो थाना जी0आर0पी0 के एस. आई. अरविन्द कुमार अपनी पुलिस पार्टी के साथ प्लेटफार्म नं0 5 व 6 पर मुखबिर द्वारा सूचना मिलने के बाद पहुंचे तो उन्होंने मुझे व मेरे साथ कांस्टेबल को भी साथ लिया, सूचना मिली थी कि सरकारी शौचालय के पास आखरी यात्री सीट पर एक यात्री बैठा है जो जहर खुरानी गिरोह का सदस्य है और जिसके पास चोरी किये गये मोबाईल आदि सामान है। मुखबिर ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया और चला गया। हम पुलिस पार्टी ने आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर विश्वास होने पर कि कोई जुर्म सम्बन्धी वस्तु तो नहीं है तो उस व्यक्ति के बैठे स्थान पर पहुंचे तो वह हमे देखकर सकपका कर पश्चिम की ओर चल दिया। इसे रुकने को कहा तो वह नहीं रुका, शक होने पर करीब बारह बजे दिन उसे पकड़ लिया, पकड़े जाने पर उसने अपना नाम लोकेश पुत्र प्रकाश चन्द निवासी ताहरपुर थाना कोतवाली देहात बताया जिसकी जामा तलाशी से एक बैग बरामद हुआ, बैग की तलाशी लेने पर बैग से एक मोबाईल जियोनी रंग काला, एक मोबाईल वीवो सफेद रंग, एक अंगूठी पीला धातु व दो अन्य मोबाईल एक हैन्डीकैम कैमरा, सोनी कम्पनी का, एक चार्जर, एक स्टील की थरमस, एक चश्मे का कवर बरामद हुआ। बरामदा माल को कब्जों में लिया, बरामदा माल का हुलिया फर्द में अंकित कर दिया था, माल के विषय में पूछा तो उसने बताया कि मैने उक्त सामान में से जो सामान बरामद किया है यह एक पैसेन्जर ट्रेन से फरवरी माह में जो दिल्ली–ऋषिकेश पैसेन्जर थी, उस व्यक्ति से जहरीला पदार्थ खिलाकर चोरी किया था जिसमें एक अंगूठी पीली धातु व उसकी आई0डी0 आधार कार्ड चोरी किये थे, आई0डी0 को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, अंगूठी व वीवो का फोन तथा उस व्यक्ति से दो सौ रूपये चोरी किये थे, जो खर्च हो गये हैं। इसी प्रकार पकड़े गये व्यक्ति ने बरामदा सामान के विषय में अलग–अलग व्यक्तियों से नशीला पदार्थ खिला कर चोरी करना तथा कुछ सामान को बेच देना भी बताया, बरामदा माल को मौके पर ही सील सर्वे मोहर किया गया, फर्द मौके पर ही एस.आई. अरविन्द कुमार द्वारा तैयार की गयी। गवाह को पत्रावली पर कागज संख्या 4क/3, असल फर्द बरामदगी दिखायी है जिस पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की जिस पर

प्रदर्श क2 पहले से ही डाला जा चुका है। फर्द की मूल प्रति एस.टी. नं0 1685/23 की पत्रावली पर मौजूद है।''

अभियुक्त की ओर से की गयी जिरह में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि ''माल मुकदमा आज मेरे सामने नही है। घटना वाले दिन हम लोग प्लेट फार्म पर पहले से ही मौजूद थे। हम लोगों को एस0आई0 अरविन्द कुमार जी0आर0पी0 मिली थे। मुखबिर एस0आई0 अरविन्द कुमार को मिला था। मुखबिर ने पौने बारह बजे मुलजिम के बारे मे सूचना दी थी। हमने मौके पर जनता के गवाहान लेने की कोशिश की थी। उन्होने अपनी मजबूरी बताकर गवाही के लिए इन्कार कर दिया था। प्लेट फार्म नम्बर 5 व 6 मे परमानेन्ट दुकाने है जो घटना स्थल से दूर है जो चौबिस घन्टे खुली रहती है। उन दुकानो के कर्मचारी को हम सब ने गवाही के लिए उन्हे नही कहा था जहां मुलजिम को गिरफतार किया था वहां से हमने पब्लिक के गवाह लेने की कोशिश नही की थी। जहां से मुलजिम को गिरफतार किया था उसके पूरब में सहारनपुर जंक्शन का बोर्ड है, उस बोर्ड से कितने फासले पर गिरफतारी की यह याद नही। गवाह ने कहा कि मुलजिम को हमने सहारनपुर जंक्शन बोर्ड की तरफ से दस कदम के फासले पर गिरफतार किया था। यह बात सही है कि इस घटना स्थल पर सहारनपुर जंक्शन के बोर्ड से पश्चिम की दिशा मे घटना स्थल पर आये थे। अभियुक्त लोकेश की तलाशी एस0आई0 अरविन्द कुमार ने ली थी। यह याद नही है कि इस मुकदमे की फर्द व बरामदगी किसने लिखी थी फर्द मैने नही लिखी थी। यह मेरे याद नही इस मुकदमे की फर्द बरामदगी एस0आई0 अरविन्द कुमार ने लिखी थी या किसी ओर से लिखी थी। यह मेरे याद है कि मुलजिम से क्या क्या बरामद हुआ था। मुलजिम से दो मोबाईल बैग से मिले थे, दो जेब से मिले थे, डेढ़ सौ रूपये मिले थे, एक कैमरा व एक चार्जर मिला था। मेरे याद नही मोबाईल किस किस कम्पनी के थे। कैमरा सोनी कम्पनी का था, कैमरा किस रंग का था यह मेरे याद नही है। मुलजिम को गिरफतार करने के बाद मौके पर फर्द बनाई गई फिर उसे हम थाने लेकर आये। एस0आई0 ने थाने पर मुलजिम को लाने के बाद मुकदमा लिखाया था। इस मुकदमे के सम्बन्ध मे मेरे बयान विवेचक ने लिये थे। इस मुकदमे के विवेचक वादी भी है इन्होने मेरे बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता लिये थे। गवाह ने कहा कि माल मुकदमा सफेद रंग के डब्बे मे सील किया था, मेरे याद नही कितने डब्बो मे माल मुकदमा सील किया गया था। जो मुलजिम से बैग मिला था वह भी एक प्लास्टिक के डब्बे मे सील किया था। यह कहना गलत है कि मेरे सामने अभियुक्त लोकेश से कोई बरामदगी ना हुई हो यह कहना भी गलत है कि मुलजिम के विरूद्ध कुल कार्यवाही गलत व झूठी की गई हो। यह कहना भी गलत है कि मैने कुल गवाही अपने आला अधिकारियो के कहने पर की हो।''

12– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–5 देव सिंह असवाल फारमेसिस्ट द्वारा अपने सशपथ बयान में कथन किया गया है कि ''मैं आज इस मुकदमें के पीड़ित अरूण खुराना आयु लगभग 32 वर्ष पुत्र कमलेश खुराना निवासी मोदी नगर गाजियाबाद के ईलाज से सम्बन्धित रिकार्ड मूल रूप से लेकर आया हूं, रिकार्ड के अनुसार उक्त मरीज दिनांक 02.01.2018 को नौ बजे अस्पताल में ईलाज हेतु आया था जिसे लेकर एम्बुलेंस रायेवाला ससपेक्टेट पोईजनिंग जहर खुराना के इलाज हेतु अस्पताल में लेकर आये थे। उक्त मरीज को डाक्टर एस.पी. सिंह द्वारा ईलाज हेतु भर्ती किया गया था। डाक्टर एस.पी. सिंह द्वारा मरीज की प्राथमिक इंजरी रिपोर्ट तैयार की गयी थी जो इंजरी रजिस्टर के क्रम सं० 285 पर दर्ज है, जिस की सम्पूर्ण प्रविष्टि डाक्टर एस.पी. सिंह द्वारा की गयी है, जिस पर मरीज का निशानी

अंगूठा अंकित कराकर प्रमाणित किया गया है। उक्त मरीज की मूल बी.एच.टी. भी मैं अपने साथ लेकर आया हूं, जो बी0एच0टी0 नम्बर 379 है, बी0एच0टी0 में सम्पूर्ण प्रविष्टि डाक्टर एस0पी0 सिंह द्वारा अपने लेख में की गयी है जिस पर डाक्टर एस0पी0 सिंह के हस्ताक्षर है जो तत्समय उनके द्वारा तैयार की गयी है। मैं डाक्टर एस0पी0 सिंह के साथ कार्यरत रहा हूं, मैने उन्हें लिखते पढ़ते देखा है, उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूं। उपरोक्त बी0एच0टी0 एवं इंजरी रिपोर्ट जो डाक्टर एस0पी0 सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है, की मैं पुष्टि करता हूं तथा छायाप्रति मैं अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित कर दाखिल करता हूं। उक्त छायाप्रति रिकार्ड के अनुसार है तथा पुलिस सूचना प्रपत्र पत्रांक संख्या 9286 दिनांक 21.01.18 भी रिकार्ड के अनुसार डाक्टर एस0पी0 सिंह के लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करता हूं। पुलिस सूचना प्रपत्र पर प्रदर्श क–6, इंजरी रिपोर्ट पर प्रदर्श क–7, बी0एच0टी0 पर प्रदर्श क–8 डाला गया है।''

अभियुक्त की ओर से की गयी जिरह में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि ''यह मरीज डाक्टर साहब के सामने सेमीकोनिसिस मे लाया गया था। सेमीकोनिसिस का मतलब पूर्ण होश मे नही था। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अरूण खुराना नॉर्मल तरीके से सुन व समझ पा रहा था। यह मरीज इन्टोओक्सटीड स्थिति मे लाया गया था। यह बात सही है कि कोई व्यक्ति इन्टोओक्सटीड शराब के नशे मे भी हो सकता है। यह सही है कि मेडिकल के समय अरूण खुराना ने अपना नाम, पिता का नाम, एडर्स डाक्टर साहब को बताया। यह सही है कि मरीज को भर्ती किया गया था। यह बात सही है कि प्रदर्श क–7 जिसमे मरीज का डाक्टरी मायना हुआ है उसमे मरीज को भर्ती करने का कोई तजकरा नही है। ये बात सही है कि डाक्टर साहब ने ही पुलिस को इस मरीज के बारे मे सूचना दी थी। यह बात सही है कि प्रदर्श क–8 मे मरीज अरूण खुराना को जो दवाईयां मुहैय्या कराई थी वो अंकित है इसके अलावा कुछ अंकित नहीं है। प्रदर्श क–8 मे भी मरीज के भर्ती का उल्लेख नही किया गया है। प्रदर्श क–8 के मुताबिक मरीज की जनरल कन्डीशन अच्छी थी। यह सही है कि प्रदर्श क–7 व प्रदर्श क–8 मे डाक्टर साहब ने अरूण खुराना को कोई टेस्ट कराने के लिये एडवाईज नही किया था। मेरी 25–26 साल नौकरी हो गई है। गवाह ने कहा कि मै केवल रिकार्ड लेकर आया हूॅ। यह बात सही है कि यदि कोई व्यक्ति जहर खाने या जहर खिलाये जाने की स्थिति मे मेडिकल के लिए आता है उसको जहर दिया गया, उसने क्या खाया, किस प्रकार का जहर व्यक्ति के शरीर मे है, उसका पता जांच के उपरान्त ही चल सकता है। प्रदर्श क–7 व प्रदर्श क–8 के अनुसार मरीज की कोई जांच नही हुई।''

13– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–6 राजीव गहलोत रिकार्ड कलर्क द्वारा अपने सशपथ बयान में कथन किया गया है कि ''मैं आज अपने साथ जीवन हॉस्पिटल एवं स्टोन सेन्टर मोदी नगर का आकस्मिक रजिस्टर, भर्ती करने का रजिस्टर मूल रूप से साथ लेकर आया हूं, मरीज अरूण खुराना आयु 32 वर्ष पुत्र श्री कमल प्रकाश निवासी शान्ति निकेतन गली नं0 3 आदर्श नगर, मोदी नगर का नाम उक्त रजिस्टर में क्रमांक संख्या 4579 दिनांक 21.01.18 समय 8 पी.एम. पर दर्ज है जिसे डाक्टर अनिल सिंह द्वारा अटेन्ड किया गया था। उक्त मरीज रिकार्ड के अनुसार ससपेक्टेड पोईजनिंग अस्पताल में ऋषिकेश उत्तराखंड से आया था। उक्त रजिस्टर के सम्बन्धित मरीज के रिकार्ड की सत्य प्रतिलिपि को मेरे द्वारा सत्यापित किया गया है जिस पर अस्पताल की मोहर लगी है, को पत्रावली पर दाखिल करता हूं। मैं अस्पताल की ओर से न्याायलय में उपस्थित होने का अधिपत्र

अपने साथ लेकर आया हूं। इसी न्यायालय की पत्रावली पर दाखिल करता हूं। मरीज अरूण के अस्पताल के रजिस्टर में नाम दर्ज होने के प्रपत्र पर प्रदर्श क–9 डाला गया है।''

अभियुक्त की ओर से की गयी जिरह में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि ''उक्त इन्द्राज जो रजिस्टर मे है भूपेन्द्र के द्वारा भरा गया है। यह सही है कि भूपेन्द्र के इस पर कही हस्ताक्षर नही है। यह बात सही है कि जो रजिस्टर मैं साथ लेकर आया हूॅ उस पर जो एन्ट्री क्लीनिकल डाएगनोसिस मे मरीज अरूण की भरी गई है वह एन्ट्री ऋषिकेश हॉस्पिटल के मुताबिक भरी गई है। ये बात सही है कि जो मरीज हमारे जीवन हॉस्पिटल मे भर्ती होता है उस मरीज की इन्वेसटीगेशन डाक्टर के द्वारा की जाती है और उसका इन्द्राज रजिस्टर मे होता है। ये बात सही है कि जो रजिस्टर मै साथ लाया हूॅ उसमे डाक्टर साहब ने इन्वेस्टीगेसन मे कुछ नही लिखा है। अरूण कुमार कभी जीवन हॉस्पिटल मे भर्ती नही रहा। यह बात सही है कि जो रजिस्टर मै साथ लाया हूॅ जिस नम्बर पर मरीज अरूण खुराना की एन्ट्री है उसमे ना तो मरीज के हस्ताक्षर है, ना ही डाक्टर साहब के हस्ताक्षर है। प्रदर्श क–9 के मुताबिक मरीज को कोई ट्रीटमेन्ट नही दिया गया। यह कहना गलत है कि अभियुक्त जीवन हॉस्पिटल मे ना आया ओ और उक्त रजिस्टर मे सभी एन्ट्री फर्जी लिखी गई हो।''

14– अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–7 अशोक कुमार सिसोदिया, क्षेत्राधिकारी नकुड, सहारनपुर द्वारा अपने सशपथ बयान में कथन किया गया है कि ''दिनांक 23.01. 2018 को मैं प्रभारी निरीक्षक जी0आर0पी0 के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा अपराध संख्या निल–44/18 अन्तर्गत धारा 328, 379 भा0दं0सं0 थाना जी0आर0पी0 गाजियाबाद पर वादी अरूण खुराना पुत्र कमल खुराना निवासी ब्रहम कुमारी मन्दिर के पास, मोदीनगर, गाजियाबाद की तहरीर के आधार पर पंजीकृत होकर सी.डी.–I एस.आई. मोहित कुमार, जी0आर0पी0 गाजियाबाद द्वारा किता होकर, जिसमें नकल एफ.आई.आर. अवलोकन नकल रपट, बयान जी.डी. लेखक, कां0 अमित कुमार, बयान वादी अरूण कुमार खुराना करके घटनास्थल के आधार पर थाना जी0आर0पी0 सहारनपुर पर प्राप्त हुई, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 24/18 अन्तर्गत धारा 328, 379 भा0दं0सं0 दिनांक 25.01.2018 को पंजीकृत होकर विवेचना मुझ एस.एच.ओ. जी0आर0पी0 सहारनपुर ने ग्रहण की थी। उसी दिन सी. डी.–II किता की, जिसमें नकल चिक, बयान एच.एम. लेखक एच.एम. विरेन्द्र सिंह, नकल रपट, केस डायरी में अंकित की गयी। माल मुलजिमान की तलाश की गयी, कुछ पता नहीं चला। दिनांक 10.02.18 को सी.डी.–III किता की गयी, जिसमें अभियुक्त व माल की तलाश व पतारसी सुरागरसी का विवरण अंकित किया गया। दिनांक 23.02.2018 को सी.डी.–IV किता की गयी जिसमें माल मुलजिमान की पतारसी–सुरागरसी की गयी, कुछ पता नहीं चला। दिनांक 11.03.2018 को सी.डी. –V किता की गयी जिसमें सर्विलांस कार्यालय पर वार्ता की गयी, तो इस मुकदमें के मोबाईल जियोनी का चालान बताया तथा दूसरे मोबाईल जियोनी के सम्बन्ध में कोई सूचना न होना बताया गया। दिनांक 12.03.2018 को सी.डी.–VI किता की गयी जिसमें मुकदमें उपरोक्त से सम्बन्धित मोबाईल जियोनी अभियुक्त लोकेश पुत्र प्रकाशचंद से बरामद हुआ। अभियुक्त लोकेश का नाम प्रकाश में आया। फर्द बरामदगी व जी.डी. नकल दाखिला रपट मय मुल्जिमान कार्यालय से प्राप्त कर केस डायरी में नकल की गयी, जिसमें अभियुक्त लोकेश ने दो मोबाईल एक लैपटॉप तथा अन्य सामान चोरी करना व एक मोबाईल व एक लैपटॉप अंकन 10,000/–रूपये में बेचना व सभी पैसे खर्च करना बताया। इसके उपरान्त नकल रपट नं0 35 समय

14:45 बजे रोजनामचाआम में नकल की गयी तथा अभियुक्त लोकेश पुत्र प्रकाश चन्द निवासी ताहरपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर के बयान अंकित किये गये तथा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास जिसमें तीन मुकदमें जी0आर0पी0 सहारनपुर के व एक क्राईम नं0 138/11, अन्तर्गत धारा 328, 379 भा0दं0सं0 थाना जी0आर0पी0 अम्बाला कैन्ट का अंकित किया गया। अभियुक्त को रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व नकल फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी दिनांक 12.03.018 को एस.आई. अरविन्द कुमार द्वारा मय हमराह फोर्स के प्लेटफार्म नं0 5/6 से मुखबिर की सूचना पर दिन में 12:30 बजे दी गयी थी। अभियुक्त लोकेश से एक मोबाईल जियोनी काले रंग का क्राईम नं0 24/18 थाना जी0आर0पी0 सहारनपुर से सम्बन्धित व एक मोबाईल वीवो रंग सफेद व एक अंगूठी पीली धातु क्राईम नं0 63/18 से सम्बन्धित व दो अदद मोबाईल व एक हैन्डीकैम कैमरा व एक सोनी कम्पनी का चार्जर व एक स्टील थर्मस व एक बैग धारा 414 से सम्बन्धित बरामद हुआ था। दिनांक 17.03.2018 को सी.डी.–VIII किता की गयी जिसमें फर्द के गवाह एस.आई. अरविन्द कुमार के बयान अंकित किये गये तथा निरीक्षण घटनास्थल किया व फर्द के गवाह कां0 सावन कुमार, कां0 दिनेश, हेड कां0 (आर.पी.एफ.) सत्येन्द्र कुमार, कां0 (आर.पी.एफ.) हेमन्त के बयान अंकित किये गये तथा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र संख्या 22/18 दिनांक 17.03.2018 को प्रेषित किया गया जिस पर मेरे हस्ताक्षर है जिनकी मैं शनाख्त करता हूं और इस पर प्रदर्श क–10 डाला गया। इस मुकदमें के घ टनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया जिसका नकशा–नजरी पत्रावली पर कागज संख्या 5क/1 असल नक्शा नजरी मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया।''

अभियुक्त की ओर से की गयी जिरह में इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि ''यह मुकदमा मेरी मौजूदगी में सहारनपुर में पंजीकृत हुआ था। यह घटना 20.01.2018 की थी और इस पर मुकदमा 23.01.2018 को जी0आर0पी0 गाजियाबाद में कायम हुआ था और दिनांक 25.01.2018 को इसकी सुपुर्दगी मुझे सुर्पद हुई थी। इस पर वादी मुकदमा अरूण खुराना के बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता दौरान तफतीश मेरे द्वारा नही लिये गये। ये बात सही है मुलजिम लोकेश की गिरफतारी के बाद भी मैंने वादी अरूण खुराना से सम्पर्क नही किया ताकि मुलजिम से बरामद सामान की शिनाख्त व मुलजिम की शिनाख्त हो पाती। अज खुद कहा कि बरामद मोबाईल नम्बरी था। मुलजिम प्लेट फार्म नम्बर 5/6 पर गिरफतार हुआ था। प्लेट फार्म नम्बर 5/6 व पक्के खोके व रहेडिया व आफिस स्टाफ भी रहता है। ये बात सही है कि जहां से मुलजिम को गिरफतार किया था वहां से किसी अन्य रेहडी वाले, खोके वाले के बयान नही लिये। दिनॉक 12.03.2018 को दिन के 12:00 बजे गिरफतार किया गया था। इस समय प्लेट फार्म नम्बर 5/6 पर काफी चहल पहल रहती है। यह बात सही है कि दौरान तफतीश मैंने वादी मुकदमा से अभियुक्त लोकेश से बरामद सामान की शिनाख्त नहीं करवायी और ना ही मैंने वादी मुकदमा की कार्यवाही शिनाख्त करवायी। ये कहना गलत है कि मैने वादी मुकदमे से अभियुक्त की कार्यवाही शिनाख्त व अभियुक्त से बरामद सामान की शिनाख्त इसलिये न करवायी हो क्योकि जो सामान वादी मुकदमा का चोरी हुआ था वह यह नही था और ना ही यह वह अभियुक्त हो जिसने चोरी की हो। यह कहना भी गलत है मैने समस्त कार्यवाही थाने पर बैठकर की हो। यह कहना भी गलत है मैने अभियुक्त के विरूद्ध झूठा व गलत आरोप पत्र प्रेषित किया हो।''

15– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत

धारा 313 द0प्र0सं0 लेखबद्व किया गया जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक झूठ होना अभिकथित करते हुये गवाह द्वारा उसके विरूद्ध साक्ष्य न दिये जाने, झूठी गवाही देने, झूठा मुकदमा कायम करने, कोई सामान बरामद न होने, गलत तफतीश किये जाने, झूठा मुकदमा चलने, बेकसूर होने का कथन किया गया है।

16– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सावधानी पूर्वक सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया।

17– अभियोजन पक्ष की ओर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को सन्देह से परे साबित किया गया है। अतः अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाये।

18– प्रस्तुत मामले में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियोजन साक्षीगण के बयानों से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित नहीं किया जा सका है। अतः अभियुक्त दोष मुक्त किये जाने योग्य हैं।

19– अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या दिनांक 20.01.2018 को समय अज्ञात बजे, स्थान चलती ट्रेन 54471 दिल्ली–सहारनपुर पैसेन्जर रेलवे स्टेशन, सहारनपुर से पहले क्षेत्र जी0आर0पी0, सहारनपुर, अन्तर्गत थाना जी0आर0पी0, जिला सहारनपुर में अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा अरूण खुराना को विषैला पदार्थ खिला कर उसका मोबाईल, ड्राईविंग लाइसेन्स, ए0टी0एम0 कार्ड, सोनी का लैपटॉप, केन्द्रीय विद्यालय का पहचान पत्र, 8000/–रूपये नगद चोरी कर लिये तथा दिनॉक 12.03.2018 को प्लेट फार्म संख्या–4 रेलवे स्टेशन, सहारनपुर अन्तर्गत थाना जी0आर0पी0, सहारनपुर पर पुलिस द्वारा गिरफतार किये जाने पर उक्त घटना में चुराया गया लैपटॉप, मोबाईल बरामद हुआ?

20– तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार वादी मुकदमा ने अभिकथन किया है कि कुछ व्यक्तियों ने उन्हें विषैला पदार्थ खिला दिया था, जिसके परिणामस्वरूप वह बेहोश हो गया था, को <u>सामने आने पर पहचान सकता है</u>। पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा ने अपने मुख्य परीक्षा में भी यह अभिकथन किया है कि उसकी पास वाली सीट पर यात्रा कर रहे व्यक्ति से बातचीत होने लगी और टपरी स्टेशन पर वह उतरा तो उसको चाय देने के लिये कहा। वादी मुकदमा ने उसे चाय लाकर दी, वह व्यक्ति भी उसे कुछ खाने के लिये दिया, जिसे खाने के बाद उसे बेहोशी छा गयी। इस प्रकार वादी मुकदमा के बयान के अनुसार भी वह बेहोशी वाली चीज देने वाले व्यक्ति के साथ काफी बातचीत किया, उसे चाय लाकर दी थी, अर्थात वह उसे पहचान सकता है। पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा ने अपने जिरह के पेज संख्या–5 पर यह बयान दिया है कि मुझे जिन लोगों ने चाय के साथ नशीला पदार्थ खाने के लिये दिया था वो भी मोदी नगर से इसी ट्रेन में थे। वे लोग मेरे पास ही बैठे थे। मेरे साथ पूरे रास्ते बातचीत करते रहे। इसी कारण मेरी जान–पहचान बन गयी। <u>यदि वह मेरे सामने आये तो मैं पहचान सकता हूँ</u>।

21– पी0डब्लू0–1 ने अपने जिरह के पेज संख्या–5 के अंतिम लाईन में कहा है कि हाजिर अदालत मुलजिम लोकेश को देखकर कहा कि यह <u>वो मुलजिम नहीं है</u> जो मेरे आस–पास बैठा था। <u>यह भी वो व्यक्ति नहीं है, जिसने मुझे नशीला पदार्थ खिलाकर मेरे साथ घटना की थी</u>।

22– इस प्रकार स्वयं पीड़ित/वादी मुकदमा के अनुसार ही मुलजिम वह व्यक्ति

नहीं है जो उसके आस–पास बैठा था और न ही उसने नशीला पदार्थ ही उसे खिलायी थी।

23– पी0डब्लू0–1 ने अपने जिरह के पेज संख्या–7 पर बयान दिया है कि मेरा लूटा हुआ सामान नहीं मिला है। पुलिस ने कभी मुझसे किसी व्यक्ति की शिनाख्त इस मुकदमे के सम्बन्ध में नहीं करायी थी, न ही पुलिस ने मुझे इस बावत कोई सूचना दी थी कि तुम्हारा कोई चोरी का सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने मेरा चोरी हुआ कोई सामान बरामद नहीं किया है।

24– साथ ही पी0डब्लू0–1 ने अपने जिरह के पेज संख्या–6 पर यह बयान दिया है कि इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मेरा बयान नहीं लिया था। अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान को सुनकर भी कहा कि ऐसा कोई बयान उसने पुलिस को नहीं दिया था। पुलिस ने कैसे उक्त बयान लिख लिया, मैं इसकी वजह नहीं बता सकता हूँ।

25– गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा किये गये जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जो कि अभियोजन कथानक को समर्थन करता हो।

26– प्रस्तुत प्रकरण में तथ्य के साक्षी के रूप में केवल वादी मुकदमा को परीक्षित कराया गया है अन्य साक्षी पुलिस के और चिकित्सक साक्षी है। पी0डब्लू0–2 ने अपने जिरह मे बयान दिया है कि थाने से रवानगी कर के 8:50 पर चला था। थाने से मैं अकेला ही चला था। सबसे पहले मैं प्लेट फार्म नम्बर चार पर पहुॅचा था। ये बात सही है कि थाना जी0आर0पी0 प्लेट फार्म नम्बर चार ही है। प्लेट फार्म नम्बर चार पर ही स्टेशन आफिस है। आफिस के अन्दर चौबिस घन्टे तक कोई नही रहता है। प्लेट फार्म नम्बर चार पर स्टेशन मास्टर का आफिस है। कोई ना कोई स्टेशन मास्टर 24 घन्टे रहता है। प्लेट फार्म नम्बर चार पर गार्ड का आफिस है, उस पर भी कोई ना कोई चौबिस घन्टे रहता है। पार्सल आफिस भी चार नम्बर प्लेट फार्म पर है, वहां भी 24 घन्टे कोई ना कोई रहता है। एक लाईन पार करके प्लेट फार्म नम्बर चार है। प्लेट फार्म नम्बर 5 व 6 मिले हुये है। मुखबिर ने मुझे प्लेट फार्म नम्बर 5–6 के पास शौचायल बने है वही पर सूचना दी थी। शौचालय पश्चिम की ओर है। यह बात सही है कि प्लेट फार्म नम्बर 5–6 पर भी कई दुकाने है। जो 24 घन्टे खुली रहती है जो घटना के समय भी खुली थी वहॉ पर कोई ना कोई रहता है। जब मुझे सूचना मिली मैंने गवाह लेने का प्रयास किया था पर कोई गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ था। मैंने उन व्यक्तियों के नाम पते समय अभाव के कारण नोट नहीं किये थे। समय अभाव वाली बात मैने फर्द में नही लिखी थी ना मैने बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता मे बतायी थी। इस प्रकार उपरोक्त प्लेट फार्म पर आफिस खुला हुआ था, लोग वहॉ पर थे, दुकानें भी थी, फिर भी पब्लिक का कोई गवाह न मिलना या गवाही देने से इन्कार करने वाले का नाम पता न लिखना बरामदगी की सत्यता को सन्देह पूर्ण बनाता है।

27– इस साक्षी ने अपने जिरह में यह अभिकथन किया है कि हमने मुलजिम को 12:30 पर गिरफतार किया था। गिरफतार करने के बाद मैने अभियुक्त की तलाशी नही ली थी। यह बात सही है कि जब हमने मुलजिम को गिरफतार किया था तब भी हमने पब्लिक का गवाह नही लिया था। जब हम गिरफतारी करके मौके से थाने लाये थे इस दौरान हमने गवाह लेने की कोशिश की थी पुनः पब्लिक का गवाह लेने की बाबत हमने फर्द मे नही लिखा ना ही मेरे बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता

मे यह बात लिखी है। यह बात मैने पहली बार अदालत मे लिखवाई है। इस प्रकार गिरफतारी के समय भी पब्लिक के गवाह उपस्थित थे लेकिन पुलिस द्वारा गवाही लेने का प्रभावी प्रयास नहीं किया गया, जो अभियोजन कथानक को सन्देह से परे साबित करने में असफलता की ओर अग्रसारित करता है।

28– पी0डब्लू0–2 ने अपने जिरह में यह भी अभिकथन किया कि यह बात सही है कि मोबाईल चालू हालत में नही है, नमूना मोहर हमने बरामदगी के समय बनायी थी। यह सही है कि इस समय मेरे सामने नहीं है, न ही पत्रावली पर है। इस प्रकार न तो बरामदगी के समय पब्लिक के किसी साक्षी का बयान लिया गया, न ही साक्ष्य देने से इन्कार करने वाले कर्मचारी, दुकानदार आदि का फर्द में नाम लिखा गया, न ही नमूना मोहर पत्रावली पर है, न ही न्यायालय में पेश किया गया।

29– पी0डब्लू0–4 ने भी अपने जिरह मे अभिकथन किया है कि मुखबिर ने पौने बारह बजे मुलजिम के बारे मे सूचना दी थी। हमने मौके पर जनता के गवाहान लेने की कोशिश की थी। उन्होने अपनी मजबूरी बताकर गवाही के लिए इन्कार कर दिया था। प्लेट फार्म नम्बर 5 व 6 मे परमानेन्ट दुकाने है जो घटना स्थल से दूर है जो चौबिस घन्टे खुली रहती है। उन दुकानो के कर्मचारी को हम सब ने गवाही के लिए उन्हे नही कहा था जहां मुलजिम को गिरफतार किया था वहां से हमने पब्लिक के गवाह लेने की कोशिश नही की थी। जहां से मुलजिम को गिरफतार किया था उसके पूरब में सहारनपुर जंक्शन का बोर्ड है, उस बोर्ड से कितने फासले पर गिरफतारी की यह याद नही। गवाह ने कहा कि मुलजिम को हमने सहारनपुर जंक्शन बोर्ड की तरफ से दस कदम के फासले पर गिरफतार किया था। इस प्रकार इस साक्षी के बयान से भी यह दर्शित है कि लोक साक्षी लेने का प्रभावी प्रयास नहीं किया गया।

30– विवेचक पी0डब्लू0–7 ने जिरह में यह अभिकथन किया है कि यह बात सही है कि मुलजिम लोकेश की गिरफतारी के बाद भी मैंने वादी मुकदमा अरूण खुराना से सम्पर्क नहीं किया ताकि मुलजिम से बरामद सामान की शिनाख्त हो सके और मुलजिम की शिनाख्त हो सके। यह बात सही है कि जहां से मुलजिम गिरफतार किया था वहां से किसी अन्य रेहडी वाले, खोके वाले के बयान नहीं लिये। यह बात भी सही है कि दौरान तफतीश भी मैंने वादी मुकदमा से शिनाख्त की कार्यवाही नहीं करायी।

31– इस प्रकार स्वयं वादी मुकदमा/पीड़ित के बयान के अनुसार अभियुक्त ने न तो उसके साथ यात्रा की थी, न ही उसने उसे कोई विषैला पदार्थ खिलाया था। उपरोक्त दोनों साक्षियों के बयान के अनुसार पब्लिक का गवाही लेने का प्रभावी प्रयास नहीं किया गया है, जबकि प्लेट फार्म पर दुकानदार व अन्य कर्मचारी मौजूद थे। विवेचक ने न तो गिरफतारी के समय अभियुक्त को और बरामद सामान को वादी मुकदमा से शिनाख्त करायी, न ही दौरान विवेचना ही शिनाख्त की कार्यवाही करायी गयी। वादी मुकदमा के अनुसार पुलिस ने उसका कोई सामान बरामद नहीं किया, न ही बरामद सामान का कोई शिनाख्त कराया, न ही पुलिस ने उसका कोई बयान लिया।

32– इस प्रकार उपरोक्त समस्त विवेचन से यह निश्चित रूप से स्थापित है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल है। अतः अभियुक्त लोकेश, सत्र परीक्षण संख्या–375/2023, मुकदमा अपराध संख्या 24/2018, धारा 328, 379, 411 भारतीय दण्ड संहिता एवं सत्र परीक्षण संख्या 1985/2023, मुकदमा अपराध संख्या

65/2018, धारा 414 भारतीय दण्ड संहिता, थाना जी0आर0पी0, जिला सहारनपुर, में लगाये गये आरोपों से दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

33– सत्र परीक्षण संख्या–375/2023, राज्य बनाम लोकेश, मुकदमा अपराध संख्या–24/2018, थाना जी0आर0पी0, जिला सहारनपुर में अभियुक्त लोकेश पुत्र प्रकाश चन्द, निवासी ताहरपुर, थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर, को धारा–328, 379, 411 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

34– सत्र परीक्षण संख्या–1685/2023, राज्य बनाम लोकेश, मुकदमा अपराध संख्या–65/2018, थाना जी0आर0पी0, जिला सहारनपुर में अभियुक्त लोकेश पुत्र प्रकाश चन्द, निवासी ताहरपुर, थाना कोतवाली देहात, जिला सहारनपुर, को धारा–414 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

35– अभियुक्त लोकेश जेल से उपस्थित आया है। अभियुक्त लोकेश का रिहाई परवाना यथाशीघ्र जिला कारागार भेजा जाये। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि यदि अभियुक्त किसी अन्य अपराध में वांछित न हो तो उसे अविलम्ब रिहा किया जाये।

36– अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि धारा 481बी0एन0एस0एस0 के प्राविधानों के अनुपालन में मु0 25,000/–रूपये (पच्चीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि का एक प्रतिभूण जेल से रिहा होने के पन्द्रह दिन के अन्दर न्यायालय में इस आशय की दाखिल करे कि यदि निर्णय के विरूद्ध अपील योजित की जाती है तो वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

37– माल मुकदमाती यदि अपील दाखिल होती है तो अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार अन्यथा बाद मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

38– निर्णय की एक–एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या–375/2023, राज्य बनाम लोकेश, एवं सत्र परीक्षण संख्या–1685/2023, राज्य बनाम लोकेश की पत्रावली पर रखी जाये।

(अभय कृष्ण तिवारी)
दिनॉक 19.05.2026 आई.डी.– यू0पी0 6199
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, सहारनपुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(अभय कृष्ण तिवारी)
दिनॉक 19.05.2026 आई.डी.– यू0पी0 6199
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, सहारनपुर।

Digitally signed by ABHAY KRISHNA TIWARI
Date: 2026.05.19 17:26:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court